UPKU010064522022

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सेशन्स केस संख्या–1014/2022

सरकार बनाम हरेन्द्र गोसाई व अन्य।

आरोप

मैं, मदन मोहन, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना आप अभियुक्तगण **पप्पू राजभर व विश्वनाथ** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 27.06.2022 को समय 05.20 AM पर, बहद स्थान–माधोपुर बुजुर्ग टोल प्लाजा के पास एन०एच० 28, थाना–तरया सुजान, जिला–कुशीनगर में आप अभियुक्तगण व अन्य तीन सहअभियुक्तगण को हिरासत में लिया गया तथा सामूहिक रूप से कुल 53 किलोग्राम गाँजा बरामद हुआ, जिसमें आप अभियुक्त पप्पू राजभर के हाथ में लिये हुए प्लास्टिक के थैले में से 10 पैकेट में कुल 10 किलोग्राम गाँजा एवं आप अभियुक्त विश्वनाथ के हाथ में लिये हुए प्लास्टिक के थैले में से 10 पैकेट में कुल 10 किलोग्राम गाँजा बरामद हुआ, जिसे रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो कि धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः05.01.2023

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांकः05.01.2023

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by MADAN MOHAN
Date: 2023.01.05 15:39:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court